रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-12092024-257109
CG-HR-E-12092024-257109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2024/भाद्र 20, 1946
No. 717]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2024/BHADRA 20, 1946

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 1 अगस्त, 2024

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम)

(प्रथम संशोधन) विनियम, 2024

सं. जेईआरसी -24/2019.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पिछले प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) एतद्द्वारा अपने मौजूदा (नेट मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) विनियमों 2019, में संशोधन करता है (इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित)।

विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभन और सीमा:

1.1 इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) (नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 (इसके बाद "नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024" के रूप में संदर्भित) कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर लागू होंगे।

1.4 ये विनियम केवल ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप माउंटेड, ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन:

(i) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (9) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"**'उपभोक्ता'** का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा या इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत जनता को बिजली की आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर फिलहाल किसी लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के संयंत्र से बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है।"

(ii) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (13) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

"(13) (क) '**दिनों**' का अर्थ है स्पष्ट कार्य दिवस।"

(iii) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (18) के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाता है:

"(18) (क) '**ग्रॉस मीटरिंग**' का अर्थ है एक ऐसी प्रणाली जिससे किसी प्रोज्यूमर की ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली से उत्पादित कुल सौर ऊर्जा और प्रोज्यूमर द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा का उपयुक्त मीटरिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से अलग से हिसाब रखा जाता है और बिलिंग उद्देश्य के लिए, प्रोज्यूमर द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा की गणना लागू खुदरा टैरिफ पर की जाती है और कुल उत्पादित सौर विद्युत की गणना आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर की जाती है।

(18) (ख) '**ग्रॉस मीटरिंग कनेक्शन एग्रीमेंट**' का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी और योग्य उपभोक्ता के बीच निष्पादित एक समझौता।"

(iv) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (23) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"'**नेट मीटरिंग**' का अर्थ है एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत प्रोज्यूमर के ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली से ग्रिड को निर्यात की गई सौर ऊर्जा को ग्रिड से आयातित ऊर्जा से इकाइयों (किवा घं) में घटाया जाता है, जिससे शुद्ध आयातित या निर्यातित ऊर्जा प्राप्त होती है और शुद्ध ऊर्जा आयात या निर्यात को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के बिंदु पर नेट-मीटरिंग के लिए एकल द्वि-दिशात्मक ऊर्जा मीटर का उपयोग करके लागू खुदरा टैरिफ के आधार पर बिल या जमा या अग्रेनीत किया जाता है।"

(v) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (23) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

"(23) (क) '**नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन**' का अर्थ है आपूर्ति बिंदु पर नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन के लिए उपयोग किया जाने वाला एकल द्वि-दिशात्मक ऊर्जा मीटर, जिसमें ग्रिड से आयातित ऊर्जा और प्रोज्यूमर के ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली से निर्यातित ऊर्जा का मूल्यांकन दो अलग-अलग टैरिफ पर किया जाता है, जहां -

(i) आयातित ऊर्जा का मौद्रिक मूल्य लागू खुदरा टैरिफ पर आधारित है;

(ii) निर्यातित सौर ऊर्जा का मौद्रिक मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर आधारित है;

(iii) निर्यातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य को आयातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य से घटाया जाता है ताकि बिल की जाने वाली (या जमा की जाने वाली/ अग्रेनीत की जाने वाली) शुद्ध राशि प्राप्त की जा सके।"

(vi) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (25) के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाता है:

"(25) (क) '**अधिभोगी**' का अर्थ उस परिसर के मालिक, किरायेदार या अधिभोगी व्यक्ति से है जहां बिजली का उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।"

(vii) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (27) के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाता है:

"(27) (क) '**मालिक/कानूनी उत्तराधिकारी**' का अर्थ वह व्यक्ति है जिसका संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है।"

(viii) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (29) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"'**प्रोज्यूमर**' का अर्थ है एक व्यक्ति जो ग्रिड से बिजली की खपत करता है और आपूर्ति के उसी बिंदु का उपयोग करके वितरण लाइसेंसधारी के लिए ग्रिड में बिजली भी डाल सकता है।"

(ix) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (31) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

"31 (क) '**रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन**' (एसोसिएशन के रूप में संदर्भित) का अर्थ है सहकारी समूह आवास सोसायटी, बहुमंजिला इमारत, आवासीय कॉलोनी या राज्य सरकार के साथ पंजीकृत किसी समान निकाय के सभी संपत्ति मालिकों और किरायेदारों से मिलकर बना एक एसोसिएशन।"

(x) मूल विनियमों के विनियम 2.1 (43) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

"43 (क) '**भंडारण**' का अर्थ है ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसमें ठोस अवस्था बैटरी, प्रवाह बैटरी, पंप भंडारण, संपीड़ित वायु, ईंधन सेल, हाइड्रोजन भंडारण या किसी अन्य तकनीक जैसी विधियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को संग्रहीत किया जाता है तथा संग्रहीत ऊर्जा को बिजली के रूप में वितरित किया जाता है।"

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन:

(i) मूल विनियमों के विनियम 4.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"एमएनआरई द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों पर आधारित एक परिसर में 500 किवापी तक की क्षमता की सौर परियोजनाएं इन विनियमों के अंतर्गत परियोजना को ग्रिड से जोड़ने के लिए पात्र हैं। ग्रुप नेट मीटरिंग या वर्चुअल नेट मीटरिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत संस्थापित की जाने वाली सौर परियोजना की क्षमता 500 किवापी तक या स्वीकृत भार तक, इनमें से जो भी कम हो, होगी।

बशर्ते कि 500 किवापी से अधिक की सौर परियोजना क्षमता नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन के अंतर्गत होगी।

इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन का लाभ उठाने वाले प्रोज्यूमर्स के मामले में, टाइम-ऑफ-द-डे टैरिफ शुरू किए जा सकते हैं, जिसके तहत प्रोज्यूमर्स को उनके द्वारा संग्रहीत सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए ऊर्जा भंडारण स्थापित करने या शिखर घंटों के दौरान ग्रिड में फीड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वितरण लाइसेंसधारी की मांग प्रतिक्रिया में भाग लेकर ग्रिड की मदद की जा सके।:

इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि नेट-मीटरिंग या नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व क्रेडिट, यदि कोई हो, के प्रयोजन के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली से उत्पन्न सकल सौर ऊर्जा को मापने के लिए सौर ऊर्जा मीटर स्थापित कर सकता है।:

इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्रॉस-मीटरिंग की अनुमति उन प्रोज्यूमरों को दी जा सकती है जो नेट-मीटरिंग, नेट-बिलिंग या नेट फीड-इन सुविधा का लाभ उठाने के बजाय वितरण लाइसेंसधारी को सभी उत्पादित सौर ऊर्जा बेचना चाहते हैं और ग्रॉस-मीटरिंग के लिए जेनेरिक टैरिफ या फीड-इन टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2019 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार किया जाएगा।"

4. मूल विनियमों के विनियम 11 में संशोधन:

मूल विनियमों के विनियम 11.8 के बाद निम्नलिखित विनियम को शामिल किया जाता है:

"11.9 नेट बिलिंग या नेट फीड-इन के मामले में, बिलिंग और ऊर्जा लेखांकन निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) नेट बिलिंग की अनुमति उन पात्र प्रोज्यूमर को दी जाती है जो पृथक सर्किट के माध्यम से विद्युत कनेक्शन के तहत उपभोक्ता के रूप में विद्युत ऊर्जा का उपभोग करते हुए समस्त उत्पादित सौर ऊर्जा को वितरण लाइसेंसधारी को बेचने का विकल्प चुनते हैं।

(ख) नेट बिलिंग अथवा नेट फीड-इन तंत्र के अंतर्गत पात्र प्रोज्यूमर ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर पीवी संयंत्र से वितरण लाइसेंसी की वितरण प्रणाली में वितरण लाइसेंसी की वितरण प्रणाली को वितरण लाइसेंसी द्वारा उपयुक्त रूप से तैयार किए गए विद्युत क्रय करार के अंतर्गत उसी वोल्टता के निकटतम वितरण नेटवर्क में डालेगा।

(ग) उपभोक्ता द्वारा उत्पादित विद्युत की संपूर्ण मात्रा की खरीद आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर वितरण लाइसेंसी द्वारा उपयुक्त रूप से तैयार किए गए विद्युत क्रय करार के अंतर्गत की जाएगी।

(घ) वितरण लाइसेंसधारी, उत्पादित विद्युत की सम्पूर्ण मात्रा के क्रय एवं विक्रय के लिए उपभोक्ता के साथ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त रूप से तैयार किया गया विद्युत क्रय करार तथा वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त रूप से तैयार किया गया विद्युत विक्रय करार करेगा।

(ङ) उपभोक्ता को बिजली की बिक्री की दर लागू खुदरा टैरिफ के समान होगी।

(च) आयातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य की गणना लागू खुदरा टैरिफ के आधार पर की जाती है;

(छ) यदि उपभोक्ता टाइम ऑफ डे टैरिफ के अधीन है, तो आयातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य की गणना तदनुसार की जाएगी;

(ज) निर्यातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य की गणना आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ के आधार पर की जाती है;

(झ) निर्यातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य को आयातित ऊर्जा के मौद्रिक मूल्य से घटा दिया जाता है, जिससे प्रोज्यूमर को बिल की जाने वाली शुद्ध राशि प्राप्त होती है।;

(ञ) यदि किसी बिलिंग चक्र में शुद्ध राशि ऋणात्मक हो जाती है, तो उसे 'बिलिंग क्रेडिट' के रूप में अगले बिलिंग चक्र में ले जाया जाएगा।;

(ट) निपटान अवधि के अंत में, यदि कोई बिलिंग क्रेडिट बकाया है, तो प्रोज्यूमर के पास शुद्ध क्रेडिट शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान प्राप्त करने या ऐसे क्रेडिट शेष को अगली निपटान अवधि में ले जाने का विकल्प होता है।

11.10 ग्रॉस-मीटरिंग के मामले में, बिलिंग और ऊर्जा लेखांकन को निम्नानुसार निपटाया जाएगा:

(क) ग्रॉस-मीटरिंग की अनुमति उन पात्र उपभोक्ता या उत्पादक को दी जाती है जो उत्पादित समस्त सौर ऊर्जा को वितरण लाइसेंसधारी को बेचने का विकल्प चुनते हैं।

(ख) ग्रॉस-मीटरिंग योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ता या उत्पादक ग्रिड इंटरएक्टिव सौर पीवी ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से उत्पादित सम्पूर्ण बिजली को वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली में, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त रूप से तैयार किए गए विद्युत क्रय समझौते के अंतर्गत समान वोल्टता के निकटतम वितरण नेटवर्क में डालेगा।

(ग) वितरण लाइसेंसधारी उत्पादित बिजली की सम्पूर्ण मात्रा की खरीद के लिए विद्युत क्रय समझौता (वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त रूप से तैयार किया गया) उत्पादक के साथ करेगा।

(घ) निर्यातित सौर ऊर्जा का भुगतान उत्पादक को आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन टैरिफ पर किया जाता है।

(ङ) विद्युत क्रय समझौते के अंतर्गत विद्युत क्रय की अन्य शर्तें व नियम वही होंगे जो नेट मीटरिंग के लिए उल्लिखित हैं।"

5. मूल विनियमों के विनियम 16 में संशोधन:

विनियमन 16.7 के बाद निम्नलिखित विनियमन को जोड़ा जाता है:

"16.8 रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणालियों की स्थापना के लिए, तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और अध्ययन के परिणाम आवेदक को सूचित किया जाएगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

16.9 सभी प्रकार से पूर्ण 10 किलोवाट क्षमता तक की रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणालियों के लिए आवेदनों को तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के बिना स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा और उपभोक्ता के स्वीकृत भार में किसी भी आनुपातिक वृद्धि, जैसा भी अपेक्षित हो, वितरण लाइसेंसी द्वारा आवेदन किए जाने पर किया जाएगा।

16.10 विनियमन (16.9) के अधीन, व्यवहार्यता अध्ययन या आवेदन की स्वीकृत माने जाने से लेकर स्थापना के पूरा होने तक की अवधि के दौरान, यदि छत पर रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणालियों की अपेक्षित क्षमता की स्थापना के लिए वितरण अवसंरचना के उन्नयन जैसे सेवा लाइन का विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता, आदि की आवश्यकता होती है, तो इसे वितरण लाइसेंसधारी या उपभोक्ता द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।:

बशर्ते कि 5 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता तक की छत पर रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणालियों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए, आवश्यकतानुसार वितरण ट्रांसफार्मर सहित वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने की लागत को वितरण लाइसेंसधारी की राजस्व आवश्यकता में शामिल किया जाएगा।

16.11 रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणाली की स्थापना के बाद, उपभोक्ता को वितरण लाइसेंसधारी को स्थापना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और वितरण लाइसेंसधारी को स्थापना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर कनेक्शन अनुबंध पर हस्ताक्षर, मीटर की स्थापना और रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टाइक प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू करना होगा।

16.12 कनेक्शन अनुबंध और स्थापना प्रमाणपत्र के प्रारूप वितरण लाइसेंसधारी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।"

आयोग के आदेशानुसार,

एस. डी. शर्मा, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./487/2024-25]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 1st August, 2024

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering & Gross Metering) (First Amendment) Regulations, 2024

No. JERC-24/2019.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) hereby amends its prevailing (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019 (hereinafter referred to as the Principal Regulations).

REGULATIONS

1. Short title, commencement, and extent of application:

1.1 These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering & Gross Metering) (First Amendment) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as "Net Metering & Gross Metering (First Amendment) Regulations, 2024").

1.2 These Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

1.3 These Regulations shall extend and apply to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

1.4 These Regulations shall apply only to the Grid Connected Rooftop mounted, ground mounted and floating Solar Power Projects.

2. Amendment in Regulation 2 of the Principal Regulations:

(i) Regulation 2.1 (9) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"**Consumer** means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under this Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be."

(ii) Following shall be inserted after Regulation 2.1 (13) of the Principal Regulations:

"(13) (a) **Days** means clear working days."

(iii) Following shall be inserted after Regulation 2.1 (18) of the Principal Regulations:

"(18) (a) **Gross-metering** means a mechanism whereby the total solar energy generated from Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system of a Prosumer and the total energy consumed by the Prosumer are accounted separately through appropriate metering arrangements and for the billing purpose, the total energy consumed by the Prosumer is accounted at the applicable retail tariff and total solar power generated is accounted for at feed-in tariff determined by the Commission.

(18) (b) **Gross Metering Connection Agreement** means an agreement executed between a Distribution Licensee and an Eligible Consumer."

(iv) Regulation 2.1 (23) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"**Net Metering** means a mechanism whereby solar energy exported to the Grid from Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system of a Prosumer is deducted from energy imported from the Grid in units (kWh) to arrive at the net imported or exported energy and the net energy import or export is billed or credited or carried-over by the distribution licensee on the basis of the applicable retail tariff by using a single bi-directional energy meter for net-metering at the point of supply."

(v) Following shall be inserted after Regulation 2.1 (23) of the Principal Regulations:

"(23) (a) **Net-billing or Net feed-in** means a single bidirectional energy meter used for net-billing or net feed in at the point of supply wherein the energy imported from the Grid and energy exported from Grid Interactive rooftop Solar photovoltaic system of a Prosumer are valued at two different tariffs, where-

(i) the monetary value of the imported energy is based on the applicable retail tariff;

(ii) the monetary value of the exported solar energy is based on feed-in tariff determined by the Commission;

(iii) the monetary value of the exported energy is deducted from the monetary value of the imported energy to arrive at the net amount to be billed (or credited/ carried-over)."

(vi) Following shall be inserted after Regulation 2.1 (25) of the Principal Regulations:

"(25) (a) **Occupier** means the owner, tenant or person in occupation of the premises where electricity is used or proposed to be used."

(vii) Following shall be inserted after Regulation 2.1 (27) of the Principal Regulations:

"(27) (a) **Owner/legal heirs** means the person who is having absolute right over the property."

(viii) Regulation 2.1 (29) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"**Prosumer** means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using same point of supply."

(ix) Following shall be inserted after Regulation 2.1 (31) of the Principal Regulations:

"31 (a) **Resident Welfare Association** (referred as the Association) means an association comprising all the property owners and tenants within a Co-operative Group Housing Society, Multi storied Building, Residential Colony, or a similar body registered with the State Government."

(x) Following shall be inserted after Regulation 2.1 (43) of the Principal Regulations:

"43 (a) **Storage** means an energy storage system utilizing methods and technologies like solid state batteries, flow batteries, pumped storage, compressed air, fuel cells, hydrogen storage or any other technology to store various forms of energy and to deliver the stored energy in the form of electricity."

3. Amendment in Regulation 4 of the Principal Regulations:

(i) Regulation 4.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Solar Projects of capacity up to 500 kWp at one premise based on the technologies approved by MNRE are eligible for connecting the project with the Grid under these Regulations. The capacity of the Solar Project to be installed under Group Net Metering or Virtual Net Metering framework shall be up to 500 kWp or up to the sanctioned load, whichever is lower.

Provided that the Solar Project capacity higher than 500 kWp shall be under net-billing or net feed-in.

Provided further that in the case of Prosumers availing net-billing or net feed-in, the time-of-the-day tariffs may be introduced whereby Prosumers are incentivised to install energy storage for utilization of stored solar energy by them or feeding into the grid during peak hours thus helping the grid by participating in demand response of the Distribution Licensee:

Provided also that in case of net-metering or net-billing or net feed-in, the distribution licensee may install a solar energy meter to measure the gross solar energy generated from the Grid Interactive rooftop Solar Photovoltaic system for the purpose of renewable energy purchase obligation credit, if any:

Provided also that the gross-metering may be permitted for Prosumers who would like to sell all the generated solar energy to the distribution licensee instead of availing the net-metering, net-billing or net feed-in facility and the generic tariff or feed-in tariff for gross-metering shall be determined by the Commission as per the JERC (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 (as amended from time to time)."

4. Amendment in Regulation 11 of the Principal Regulations:

Following Regulations shall be inserted after Regulation 11.8 of the Principal Regulations:

"11.9 In case of Net billing or Net feed-in, the billing and energy accounting shall be dealt with as under:

a) Net Billing is permitted for eligible prosumer who opt to sell all generated solar energy to the distribution licensee while availing consumption of electrical energy as a consumer under an electric connection through separate circuit.

b) The eligible prosumer under the Net billing or Net feed-in mechanism shall inject the entire power from the Grid Interactive Solar PV plant to the distribution system of the distribution licensee to the nearest distribution network of the same voltage under the Power Purchase Agreement as suitably devised by the distribution licensee.

c) Entire quantum of electricity generated by the prosumer shall be procured under the Power Purchase Agreement as suitably devised by the distribution licensee at feed-in tariff determined by the Commission.

d) The distribution licensee shall enter into a Power Purchase Agreement as suitably devised by the distribution licensee and a Power Sale Agreement as suitably devised by the distribution licensee with the consumer for purchase and sale of entire quantum of power generated.

e) Rate of sale of power to the consumer shall be same as applicable retail tariff.

f) The monetary value of the imported energy is computed based on the applicable retail tariff;

g) In case, the prosumer is subjected to Time of Day tariff, the monetary value of the imported energy shall be computed accordingly;

h) The monetary value of the exported energy is computed based on the feed-in tariff determined by the Commission;

i) The monetary value of the exported energy is deducted from the monetary value of the imported energy to arrive at the net amount to be billed to the prosumer;

j) If the net amount in a billing cycle comes to negative, the same shall be carried over to the next billing cycle as 'Billing Credit';

k) At the end of the settlement period, if there is any outstanding Billing Credit, the prosumer has the option to receive payment of the net credit balance, if any, or have such credit balance carried over to the next settlement period.

11.10 In case of Gross-metering, the billing and energy accounting shall be dealt with as under:

(a) Gross metering is permitted for eligible consumer or generator who opt to sell all generated solar energy to the distribution licensee.

(b) The eligible consumer or generator under the Gross Metering scheme shall inject the entire power generated from the grid interactive Solar PV Energy Generating Plant to the distribution system of the distribution licensee to the nearest distribution network of same voltage under Power Purchase Agreement as suitably devised by the distribution licensee.

(c) The distribution licensee shall enter into a Power Purchase Agreement (as suitably devised by the distribution licensee) with the generator for purchase of entire quantum of power generated.

(d) The exported solar energy is paid to the generator at the feed-in tariff determined by the Commission.

(e) The other terms and conditions of power purchase under the Power Purchase Agreement shall be same as mentioned for the Net Metering."

5. Amendment in Regulation 16 of the Principal Regulations:

Following Regulation shall be added after Regulation 16.7:

"16.8 For installation of roof top solar photo voltaic systems, the technical feasibility study shall be completed within a period of fifteen days and the outcome of the study shall be intimated to the applicant, failing which it shall be presumed that the proposal is technically feasible.

16.9 The applications for roof top solar photo voltaic systems up to 10 kW capacity, complete in all respects shall be deemed to have been accepted without requiring technical feasibility study and any commensurate enhancement of the sanctioned load of the consumer, as may be required, shall be carried out by the distribution licensee on application by the Prosumer.

16.10 Subject to Regulation (16.9), during the time period from the feasibility study or deemed acceptance of the application till the completion of installation, in case, there is any requirement of upgradation of distribution infrastructure like augmentation of service line, distribution transformer capacity, and the like for installation of the required capacity of roof top solar photo voltaic system, the same shall be carried out by the distribution licensee or consumer, as the case may be:

Provided that the cost of strengthening the distribution infrastructure, including distribution transformer, as necessary, to facilitate the installation of roof top solar photovoltaic systems up to a capacity of 5 kW or a higher capacity, shall be included in the revenue requirement of the distribution licensee.

16.11 After installation of roof top solar photovoltaic system, the consumer shall submit the installation certificate to such distribution licensee and such distribution licensee shall complete signing of connection agreement, installation of meter and successful commissioning of the roof top solar photovoltaic system within fifteen days from the date of submission of the installation certificate.

16.12 The Formats of connection agreement and installation certificate shall be placed on web-portal of the distribution licensee.

By Order of the Commission,

S. D. SHARMA, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./487/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.12 21:10:25 +05'30'